

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आवंटन क्रमांक—
05/2024-25

सं०सं०-03/प्र०-आवंटन (MMGPY)-14-05/2024

35

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार
(बांका, सिवान, बेतिया एवं सारण को छोड़कर)।

पटना, दिनांक— 7/2/2025

विषय— विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०— 86 , दिनांक— 7/2/25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के लिए स्वीकृत कुल 3,86,00,000/- (तीन करोड़ छेयासी लाख) रू० मात्र की राशि के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग—
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०— 86 , दिनांक— 7/2/25 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में "मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना" के लिए स्वीकृत कुल 3,86,00,000/- (तीन करोड़ छेयासी लाख) रूपए मात्र की राशि इस आवंटनादेश के साथ संलग्न जिलावार विवरणी के अनुसार सभी जिला पदाधिकारी, बिहार (बांका, सिवान, बेतिया एवं सारण को छोड़कर) को आवंटित की जाती है।

2. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य योजना में मांग संख्या-47 से निम्न प्रकार की जायेगी:-

क्र०	योजना शीर्ष	राशि
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष- 0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड-47-3055007890101 विषय शीर्ष-0101.33.01 सब्सिडी	3,20,00,000/-
2	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष- 0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड-47-3055007960101 विषय शीर्ष-0101.33.01 सब्सिडी	66,00,000/-
कुल		3,86,00,000/-

3. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार (बांका, सिवान, बेतिया एवं सारण को छोड़कर) द्वारा इस राशि का उपावंटन प्रखंड विकास पदाधिकारियों को किया जायेगा, जो आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या— 86 , दिनांक— 7/2/25 में निहित अनुदेशों के अनुरूप करेंगे। जिला पदाधिकारी द्वारा लगातार व्यय का अनुश्रवण किया जायेगा।

4. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-एम-4-05/98-2561 वि (2), दिनांक— 17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।

5. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बिहार गजट संख्या-823, दिनांक-05.09.2018 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-6297, दिनांक-08.08.2019 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-6480, दिनांक-09.09.2020 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या-2740, दिनांक-11.05.2021 के आलोक में पूरी छान-बीन एवं आवश्यक जाँच के बाद ही किया जायगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जायगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान नहीं हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व चयनित लाभुक से वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इस संबंध में निर्गत विभागीय पत्रों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो विभागीय अधिसूचना संख्या-6297, दिनांक-08.08.2019 के आलोक में लाभुक से वित्त पोषण संस्थान को राशि अंतरण हेतु लाभुक द्वारा हस्ताक्षरित RTGS TRANSFER प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा। साथ ही लाभुक से इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि सरकार से लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि को लाभुक के बैंक खाते से ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान के बैंक खाते में सीधे अंतरित करने का अधिकार संबंधित बैंक को होगा। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना संख्या-6297, दिनांक-08.08.2019 को पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

6. राशि का उपावंटन प्रखंडों को समानुपातिक रूप से नहीं किया जायेगा बल्कि वाहन क्रय की संख्या के आधार पर राशि प्रखंडों को उपावंटित की जायेगी।
7. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग सं० अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राशि का व्यय नियमानुसार हो। कोषागार से उतनी ही राशि की निकासी की जाएगी जितनी तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक हो। राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक खातों/पी० एल० खातों में नहीं रखी जाएगी।
10. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

[Signature]
अपर सचिव, 7/2/2025

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 7/2/2025

ज्ञापांक:- 35

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
अपर सचिव, 7/2/2025

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 7/2/2025

ज्ञापांक:- 35

प्रतिलिपि:-आई टी० मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को इस निदेश के साथ प्रेषित कि सामग्री को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय तथा इस सभी संबंधितों को ई-मेल किया जाय।

[Signature]
अपर सचिव, 7/2/2025

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सं०सं०-०३/प्र०-आवंटन (MMGPY)-14-05/2024

आवंटन-माह अप्रैल, 2024 से मार्च 2025 तक

क्र	जिला का नाम	आवंटित राशि			कुल योग
		विपत्र कोड			
		मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड-47-3055001990 101 विषय शीर्ष-0101. 33.01 सब्सिडी	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड-47-3055007890 101 विषय शीर्ष-0101. 33.01 सब्सिडी	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उपशीर्ष-0101-मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, विपत्र कोड-47-3055007960 101 विषय शीर्ष-0101. 33.01 सब्सिडी	राशि रुपये में
1.	2	3	4	5	6
1.	अररिया	0/-	10,00,000/-	0/-	10,00,000/-
2.	अरवल	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
3.	औरंगाबाद	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
4.	बेगूसराय	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
5.	भागलपुर	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
6.	भोजपुर	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
7.	बक्सर	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
8.	दरभंगा	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
9.	गया	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
10.	गोपालगंज	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
11.	जमुई	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
12.	जहानाबाद	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
13.	कैमूर	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
14.	कटिहार	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
15.	खगड़िया	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
16.	किशनगंज	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
17.	लखीसराय	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
18.	मधेपुरा	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
19.	मधुबनी	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
20.	मोतीहारी	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
21.	मुँगेर	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
22.	मुजफ्फरपुर	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
23.	नालंदा	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-

[Handwritten signature]

24.	नवादा	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
25.	पटना	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
26.	पूर्णियाँ	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
27.	रोहतास	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
28.	सहरसा	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
29.	समस्तीपुर	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
30.	शेखपुरा	0/-	0/-	2,00,000/-	2,00,000/-
31.	शिवहर	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
32.	सीतामढ़ी	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
33.	सुपौल	0/-	10,00,000/-	2,00,000/-	12,00,000/-
34.	वैशाली	0/-	0/-	2,00,000/-	2,00,000/-
कुल		0/-	3,20,00,000/-	66,00,000/-	3,86,00,000/-

[Signature]
अपर सचिव, 10/04/2025

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।